रजिस्ट्री सं. डी. (डी)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 118] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 1980/आषाढ़ 6, 1902

No. 118] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 1980/ASADHA 6, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 32-ईटीसी (पी एन)/80

नई दिल्ली, 27 जून, 1980

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय:—अप्रैल 1980—मार्च 1981 अवधि के लिए मोर की पूंछ के पंखों के निर्यात के लिए निर्यात नीति ।

भिसिल सं. 30(5)/80 ई 2 .—1980-81 की निर्यात-नीति पुस्तक के पृष्ठ 9 के नीति विवरण की क्रम सं. 4(घ) के सामने दी गई मोर की पूंछ के पंखों की निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि मोर की पूंछ के पंखों और उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात की अनुमति निम्नलिखित द्वारा सीमित उच्चतम सीमा के भीतर दी जाएगी :—

1. राजस्थान अनुसूचित जन जाति सहकारी विपणन महासंघ ।
2. बिहार राज्य निर्यात निगम ।
3. अन्य सरकारी क्षेत्र अथवा सहकारी अभिकरण ।
4. मोर की पूंछ के पंखों से विनिर्मित वस्तुओं/हस्त-शिल्पों के निर्यातक ।

3. विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा मोर की पूंछ के पंखों के बंडल का झाड़न के रूप में निर्यात नहीं किया जाएगा, और अधिक मूल्य की मदें जिनमें अधिक श्रम होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी ।

4. तदनुसार, 1980-81 की निर्यात नीति पुस्तक के पृष्ठ 9 पर क्रम सं. 4(घ) के सामने कालम 3 में यथमान प्रविष्टि को संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :—

"केवल मोर की पूंछ के पंखों और उनसे विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात की अनुमति एक सीमित उच्चतम सीमा के भीतर (1) राजस्थान अनुसूचित जन-जाति सहकारी विपणन महासंघ, (2) बिहार राज्य निर्यात निगम, (3) अन्य सरकारी क्षेत्र अथवा सहकारी अभिकरण, और (4) मोर की पूंछ के पंखों से विनिर्मित वस्तुओं/हस्तशिल्पों के निर्यातकों को दी जाएगी । श्रेणी (4) के सम्बन्ध में मोर की पूंछ के पंखों के बंडलों का झाड़न आदि के रूप में निर्यात नहीं किया जाएगा । अधिक मूल्य की वे मदें जिनमें अधिक श्रम होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी । मोर की कलंगी के पंखों और अन्य किसी भाग या हिस्से के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी ।"

मणि नारायणस्वमी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 32-ETC (PN)/80

New Delhi, the 27th June, 1980

EXPORT TRADE CONTROL

Subject.—Export Policy for Export of Peacock Tail Feathers and articles made therefrom for the period April 1980—March 1981.

File No. 30(5)/80-EII.—Attention is invited to Export Policy of Peacock Tail Feathers as contained against S. No. 4(d) of Policy Statement on page 9 of Export Policy Book for 1980-81.

2. It has been decided to allow the export of Peacock Tail Feathers and articles made therefrom within a limited ceiling by the following :—

1. Rajasthan Scheduled Tribes Co-operative Marketing Federation.
2. Bihar State Export Corporation.
3. Other Public Sector or Co-operative Agencies.
4. Exporters of manufactured articles/handicrafts in which Peacock Tail Feathers have been used.

3. Bundles of Peacock Tail Feathers will not be exported as dusters by the Exporters of manufactured articles, and the items of high added value which are labour intensive will be given preference.

4. Accordingly, the existing entry appearing in col. 3, against S. No. 4(d), at page 9 of Export Policy Book for 1980-81 shall be amended to read as :—

"Export of only Tail Feathers of Peacock and articles made therefrom will be allowed within a limited ceiling to the (i) Rajasthan Scheduled Tribes Co-operative Marketing Federation ; (ii) Bihar State Export Corporation; (iii) Other Public Sector or Co-operative Agencies; and (iv) Exporters of manufactured articles/handicrafts in which Peacock Tail Feathers have been used. In respect of category (iv), bundles of Peacock Tail Feathers must not be exported as dusters etc. Exports of items of high added value which are labour intensive will be given preference. Crest feathers and any other part or portion of Peacocks will not be allowed for export."

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980